



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

धनबाद नगर निगम

‘बारामुड़ी में शहरी आवासविहीन परिवारों के लिए आवासीय परियोजना का उपहार’



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

पात्रता

- वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।
- परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख रु० हो।
- आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से किसी एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।

विशेषताएं

- लगभग 316 वर्ग फीट का घर
- बैंकों से आसान किश्तों में लोन
- बिजली, पानी, आधारभूत संरचना
- रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टांप ड्यूटी की सम्पूर्ण व्यवस्था
- मात्र 1 रु. में

प्रति फ्लैट का आंतरिक विवरण

- 1 लिविंग रूम
- 1 बेडरूम
- 1 रसोई घर
- 1 शौचालय
- 1 बाथरूम
- 1 बालकनी

► कुल आवास: 320 ► G+3 संरचना

- विनोद बिहारी महतो चौक से दूरी-----100 मीटर
- असफ़ी हॉस्पिटल से दूरी ----- 300 मीटर
- धनबाद रेलवे स्टेशन से दूरी ----- 4 किलोमीटर



हमारा सपना...
हर शहरी गरीब का हो घर अपना



मात्र
5000 रुपये
देकर पंजीकरण कराएं



बारामुड़ी किफ़ायती आवास परियोजना में पंजीकरण के लिए धनबाद नगर निगम कार्यालय या
टॉल फ्री नं०: 1800-120-2929 पर संपर्क कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जनहित में जारी।